

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है डॉ. आर. आर. रे सि डेन्सिपल
क.ए.ए. ले.ए.ए. कोष-आपा

के द्वारा अग्निशामक यंत्रों में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की जांच की गई। जांचोपरान्त सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों सहा एव क्रियाशील पाये गये।

जांच किये सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र पत्र निर्गत की तिथि से वर्ष एड-२०१८ के लिए उपयुगी एवं क्रियाशील है।

सलाह दी जाती है कि व्यवस्थापक

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को पुरे वर्ष भर उचित तकनीकी संधारण करेगे कि क्रियाशीलता बनी रहे। संधारण की कमी के कारण यंत्रों की क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है जिसकी जिम्मेवारी व्यवस्था की होगी।
2. नेशनल विल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एम्ड लाईफ सेफ्ट एव विल्डिंग वार्ड लॉज 2014 के प्रावधानों के अनुसार स्कूल में व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगे।
3. विद्युत अर्जित (इलेक्ट्रिक सर्किट/सिस्टम) से उपलब्ध उत्पन्न होनेवाली अग्नि सुरक्षा हेतु सही मानक लोड के अनुसार तार एवं फ्यूज का उपयोग तकनीकी सलाहकार के देख रेख में करेगे।
4. कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को अग्निशामक विधि से अवगत करा देंगे जिससे आग के प्रथम अवस्था में ही शमन किया जा सके।
5. अग्नि सुरक्षा टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो मांक डील कराएंगे।
6. वर्ष से एक बार सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेगे।
7. उपरोक्त लिखित अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था को पुरा करना सुनिश्चित करेगे अन्यथा आप के विद्यालय / कॉलेज / प्रतिष्ठान में अग्नि संबंधी किसी प्रकार की अप्रीय घटना घटती है तो सारी जवाबदेही व्यवस्थापक की होगी।

11/05/2018
04/05/2018

अग्निशामक पदाधिकारी,

राजिव शांतिनिक पदाधिकारी
गया, दिनांक

पत्रांक २५६ / नि १२०१८ गया, दिनांक

प्रतिलिपि :- डॉ. आर. आर. रे सि डेन्सिपल क.ए.ए. ले.ए.ए. कोष-आपा के
Cherent and सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ।
Verificand

08/05/2018

11/05/2018
04/05/2018
अग्निशामक पदाधिकारी

राजिव शांतिनिक पदाधिकारी
गया